छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर–492002

क्रमांक एफ 3–27/2021/वा0क0(आब0)/पांच, नवा रायपुर, दिनांक 08.05.2021

प्रति,

आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़,
जीएसटी भवन, नवा रायपुर अटल नगर.

विषय :– मदिरा की ऑनलाईन होम डिलिवरी के संबंध में।

संदर्भ :– आपका प्रस्ताव दिनांक 08.05.2021

––00––

राज्य शासन, एतद्द्वारा, संदर्भित प्रस्ताव अनुसार प्रदेश में लॉकडाउन अवधि/आगामी आदेश पर्यन्त तक, अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं धारण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पूर्व में प्रचलित डिलिवरी बॉय के माध्यम से मदिरा की ऑनलाईन होम डिलिवरी की व्यवस्था को **दिनांक 10.05.2021 से** निम्नानुसार प्रारंभ किए जाने की अनुमति प्रदान करता है :–

1. डिलिवरी बॉय के माध्यम से मदिरा की ऑनलाईन होम डिलिवरी की व्यवस्था का समय प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक निर्धारित रहेगा। स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार जिले के कलेक्टर द्वारा समय में वृद्धि या कमी की जा सकेगी।
2. मदिरा की ऑनलाईन होम डिलिवरी हेतु मदिरा दुकानों का निर्धारण छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जावेगा।
3. मदिरा की ऑनलाईन होम डिलिवरी हेतु मदिरा उपभोक्ताओं द्वारा ऑनलाईन अग्रिम भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। ऑनलाईन अग्रिम भुगतान की व्यवस्था छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की जावेगी।

2/ डिलिवरी बॉय के माध्यम से मदिरा की होम डिलिवरी हेतु प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पत्र क्रमांक/सी.एस.एम.सी.एल./2020/1173, दिनांक 04.05.2020 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाये

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

A. Tripathi

(ए.पी. त्रिपाठी)
विशेष सचिव

पृ.क्र. एफ 3—27 / 2021 / वा0क0(आब0) / पांच, नवा रायपुर, दिनांक 08.05.2021

प्रतिलिपि :—

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, सी—5, शांति नगर, रायपुर।
2. उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, माननीय मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
3. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़।
6. प्रभारी अधिकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर।
7. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़।
8. उपायुक्त आबकारी, जिला—रायपुर (छ.ग.)।
9. सहायक आयुक्त आबकारी, जिला—दुर्ग / बिलासपुर / राजनांदगांव / कोरबा / रायगढ़ / जांजगीर—चांपा (छ.ग.)।
10. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

A. Tripathi

विशेष सचिव